अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट,मुकाम बस्सी जिला जयपुर व अलजास. दीपाली भगोतिया आर.ए.एस सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जयपुर

वादी

1. भागोती बेवा नाथूराम पुत्रवधू स्व. श्योनाथ जाति मीना निवासी ग्रान सुजानपुरा ढाणी देवाना की दूधली तह. बस्सी।

बनाम

प्रतिवादी

1. देवनारायण पुत्र स्व. श्योनाथ जाति मीणा निवासी ग्राम सुजानपुरा ढाणी देवाना की दूधली तह. बस्सी।
2. लडडू देवी पत्नि रामसहाय पुत्री स्व. श्योनाथ जाति मीणा हाल निवासी ग्राम भावपुरा तह. जमवारामगढ।
3. शांति देवी पत्नि राधेश्याम पुत्री स्व. श्री श्योनाथ जाति मीना निवासी हाल सूरजपोल दरवाजे के पास जयपुर।
4. प्रेम देवी पत्नि श्री भगवानसहाय पुत्री स्व. श्योनाथ जाति मीना हाल निवासी ग्राम नांगल तह. जमवारामगढ।
5. मुकेश पुत्री स्व. नाथूराम पत्नि कैलाश जाति मीना हाल निवासी ग्राम लुनियावास हीरापुरा तह. सांगानेर जिला जयपुर।
6. मुन्ना पुत्री स्व. नाथूराम पत्नि कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी ग्राम लूनियावास हीरावाला तह. सांगानेर जयपुर।
7. इन्द्रा पुत्री स्व. नाथूराम पत्नि लालाराम जाति मीना हाल निवासी ग्राम लालगढ तह. बस्सी।
8. चन्दा पुत्री स्व. नाथूराम पत्नि रमेश जाति मीना हाल निवासी ग्राम लालगढ तह. बस्सी।
9. छोटी पुत्री स्व. नाथूराम पत्नि श्री रमेश जाति मीना सुजानपुरा ढाणी देवाना की दूधली तह. बस्सी।
10. मनभर पुत्री स्व. नाथूराम नाबालिग जरिये संरक्षिका मुकेश पत्नि कैलाश जाति मीना हाल निवासी लूनियावास हीरावाला तह. सांगानेर जिला जयपुर।
11. मंगली उर्फ काली पुत्री स्व. श्री नाथूराम नाबालिग जरिये

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जिला जयपुर

Contd--2

संरक्षिका मुकेश पत्नि कैलाश
जाति मीना हाल निवासी
लूनियावास हीरावाला तह.
सांगानेर जिला जयपुर।

12. कालूराम
13. टून्डाराम
14. कैलाश
15. जन्सीराम
16. श्रवणलाल पुत्रान स्व. धन्ना
17. छोटी पत्नि स्व. धन्ना
18. माधो
19. रामफूल
20. भीवाराम पुत्रान सांवता
21. गंगाराम
22. प्रहलाद कुमार
23. लालचन्द
24. कुन्जनिवास पुत्रान जगदीश
25. धापा पत्नि स्व. हरिनारायण
26. बाबुलाल
27. बालूराम पुत्रान हरिनारायण
समस्त जाति मीना निवासी ग्राम
सुजानपुरा ढाणी देवाना की,
दूधली तह. बस्सी।
28. उपपंजीयक बस्सी
29. राज. सरकार जरिये तहसीलदार
बस्सी।

दावा बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 16.05.2018

मुकदमा नम्बर 336/16

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प कोर्ट दूधली में पेश हुई। प्रतिवादी सं. 1 स्वयं उपस्थित। जिसकी पहचान सरपंच ग्राम पंचायत दूधली ने की है। वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि विवादित कृषि भूमि हाल ख.नं. 7 रकबा 8 बीघा 3 बिस्वा, ख.नं. 10 रकबा 4 बिस्वा, ख.नं. 17 रकबा 9 बिस्वा, ख.नं. 27 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा, ख.नं. 32 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा, ख.नं. 61 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, ख.नं. 158 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा कुल किता 7 कुल रकबा 24 बीघा 9बिस्वा वाके ग्राम सुजानपुरा पटवार हल्का दूधली, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दूधली तह. बस्सी जिला जयपुर में स्थित है। वादिया के पति स्व. नाथूराम के पिता व प्रतिवादीगण 1 लगा 11 के पूर्वज स्व. श्योनाथ पुत्र भौरया की मृत्यु हो जाने के कारण वाद पत्र के मद नं. 1 में वर्णित स्व. श्योनाथ पुत्र भौरया के हिस्सा 1/6 की विवादित भूमि वाद पत्र के मद नं. 2 में वर्णित वादीया व प्रतिवादीगण 1 लगा. 11 के पारिवारिक सजरे खानदान के आधार एवं ओल्ड हिन्दू विधि के प्रावधानों के आधार पर विरासत के आधार पर कानूनन 1/2 दर हिस्सा 1/6 वादीया को क्योंकि वादीया स्व. श्योनाथ पुत्र भौरया के पुत्र वारिस स्व. नाथूराम की बेवा है एवं स्व. नाथूराम पुत्र श्योनाथ के फुट स्टेप पर स्व. नाथूराम पुत्र श्योनाथ की बेवा होने के कारण प्राप्त हुआ है एवं शेष 1/2 दर हिस्सा 1/6 स्व. श्योनाथ पुत्र भौरया के दूसरे पुत्र प्रतिवादी सं. 1 देवानारायण को प्राप्त हुआ है एवं वादीया व प्रतिवादी सं. 1 भूमिवादग्रस्त के हिस्सा 1/6 पर हिस्सेनुसार एवं मनबट के अनुसार काबिज काश्त है। प्रतिवादीगण 12 लगा 29 तरतीबी प्रतिवादीगण हैं, जिनके विरुद्ध वादीया द्वारा वाद पत्र में कोई अनुतोष नहीं चाहा गया हे एवं वाद पत्र के मद नं. 1 में वर्णित स्व. श्योनाथ पुत्र भौरया के हिस्सा 1/6 की खातेदारी की विवादित भूमि ही इस वाद की विवादित भूमि है एवं शेष 5/6 हिस्से की भूमि विवादित नहीं है। वादीया का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण सं. 1 लगा 11 बाबत

Contd--3

घोषणा का डिक्री किया जाकर वाद पत्र के मद नं. 1 में वर्णित स्व. श्योनाथ पुत्र भौरया के हिस्सा 1/6 की भूमि वादग्रस्त में से 1/2 दर हिस्सा 1/6 की खातेदार काश्तकार वादीया को घोषित किया जावे व शेष 1/2 दर हिस्सा 1/6 का खातेदार काश्तकार प्रतिवादी सं. 1 को घोषित किया जावे व भूमि–वादग्रस्त के वर्तमान राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त किया जाकर उसमें से प्रतिवादीगण 2 लगा 11 के नाम हजफ किये जाने व वादीया व प्रतिवादी सं. 1 के नाम हिस्सेनुसार दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें। वादिया का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण सं. 1 लगा 11 बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का डिक्री किया जाकर वाद पत्र के मद नं. 1 में वर्णित भूमि वादग्रस्त के हिस्सा 1/6 के संबंध में प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादीया को भूमिवादग्रस्त के हिस्सा 1/2 दर हिस्सा 1/6 कि विवादित भूमि को काश्त करने व उपयोग उपभोग करने में बाधा नहीं डालें, न ही बेचान करें, न ही खुर्द बुर्द करें एवं राजस्व रिकार्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखें।

प्रतिवादी सं. 1 ने अवगत कराया श्योनाथ के पांच वारिस थे जिसमें नाथूराम, लड्डू देवी, शांति देवी, प्रेमदेवी, देवनारायण का श्योनाथ के 1/6 हिस्से में से 1/5–1/5 हिस्सा है। लड्डू देवी, शांति देवी, प्रेमदेवी ने अपना अपना हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 को हकत्याग कर दिया है नाथूराम का श्योनाथ के हिस्से 1/6 में से 1/5 हिस्सा बनता है जिसे प्रतिवादी सं. 1 द्वारा नाथूराम के फोत होने पर उसकी वारिस भगोती देवी को देने हेतु सहमति जाहिर की गयी।

पत्रावली का अवलोकन एवं प्रतिवादी सं. 1 को वाद पत्र पर सुनने एवं उपस्थित मौतबिरान से वादग्रस्त भूमि के संबंध में जानकारी लेने तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने एवं लोक अदालत हेतु गठित कमेटी के निर्णयानुसार वादग्रस्त आराजी ख.नं. 7 रकबा 8 बीघा 3 बिस्वा, ख.नं. 10 रकबा 4 बिस्वा, ख.नं. 17 रकबा 9 बिस्वा, ख.नं. 27 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा, ख.नं. 32 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा, ख.नं. 61 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, ख.नं. 158 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा कुल किता 7 कुल रकबा 24 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम सुजानपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर के संबंध में वादपत्र में प्रस्तुत सजरे खानदान के अनुसार श्योनाथ के हिस्से की भूमि 1/6 में से वादिया का 1/5 दर हिस्सा 1/6 बनता है जिसका राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो चुका है तथा वादिया द्वारा श्योनाथ की पुत्रियों के द्वारा प्रतिवादी सं. 1 को किये गये हकत्याग के निरस्तीकरण का वाद सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में सिविल न्यायालय के निर्णय के पश्चात ही वादिया के द्वारा चाही गयी रिलीफ के संबंध में निर्णय दिया जाना उचित समझते है। सिविल न्यायालय के निर्णय से पूर्व वादग्रस्त भूमि में श्योनाथ के हिस्से 1/6 भूमि वादिया का 1/5 हिस्सा दर हिस्सा 1/6 हिस्सा ही बनता है जो सही है वादिया चाहे तो सिविल न्यायालय के निर्णय के पश्चात नया वाद पेश कर सकती है। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री का प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जूजू रहेगा। निर्णय व डिक्री की पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 16.05.2018 को यह निर्णय न्याय आपके द्वार केम्प कोर्ट दूधली में मजमे आम में सुनाया गया।

16.5.18

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी जिला जयपुर

अंतिम डिकी मुकदना इब्तदाई
(ओ.20 रुल्स व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट,मुकाम बस्सी जिला जयपुर व अध्यक्ष
दीपाली भगोतिया आर.ए.एस सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जयपुर

वादी

1. भागोती बेवा नाथूराम पुत्रवधू स्व. श्योनाथ जाति मीना निवासी ग्राम सुजानपुरा ढाणी देवाना की दूधली तह. बस्सी।

बनाम

प्रतिवादी

1. देवनारायण पुत्र स्व. श्योनाथ जाति मीणा निवासी ग्राम सुजानपुरा ढाणी देवाना की दूधली तह. बस्सी।
2. लडडू देवी पत्नि रामसहाय पुत्री स्व. श्योनाथ जाति मीणा हाल निवासी ग्राम भावपुरा तह. जमवारामगढ।
3. शांति देवी पत्नि राधेश्याम पुत्री स्व. श्री श्योनाथ जाति मीना निवासी हाल सूरजपोल दरवाजे के पास जयपुर।
4. प्रेम देवी पत्नि श्री भगवानसहाय पुत्री स्व. श्योनाथ जाति मीना हाल निवासी ग्राम नांगल तह. जमवारामगढ।
5. मुकेश पुत्री स्व. नाथूराम पत्नि कैलाश जाति मीना हाल निवासी ग्राम लुनियावास हीरापुरा तह. सांगानेर जिला जयपुर।
6. मुन्ना पुत्री स्व. नाथूराम पत्नि कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी ग्राम लूनियावास हीरावाला तह. सांगानेर जयपुर।
7. इन्द्रा पुत्री स्व. नाथूराम पत्नि लालाराम जाति मीना हाल निवासी ग्राम लालगढ तह. बस्सी।
8. चन्दा पुत्री स्व. नाथूराम पत्नि रमेश जाति मीना हाल निवासी ग्राम लालगढ तह. बस्सी।
9. छोटी पुत्री स्व. नाथूराम पत्नि श्री रमेश जाति मीना सुजानपुरा ढाणी देवाना की दूधली तह. बस्सी।
10. मनभर पुत्री स्व. नाथूराम नाबालिग जरिये संरक्षिका मुकेश पत्नि कैलाश जाति मीना हाल

16.5.18
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जिला जयपुर

Contd--2

निवासी लूनियावास हीरावाला
तह. सांगानेर जिला जयपुर।

11. मंगली उर्फ काली पुत्री स्व. श्री नाथूराम नाबालिग जरिये संरक्षिका मुकेश पत्नि कैलाश जाति मीना हाल निवासी लूनियावास हीरावाला तह. सांगानेर जिला जयपुर।
12. कालूराम
13. टून्डाराम
14. कैलाश
15. जन्सीराम
16. श्रवणलाल पुत्रान स्व. धन्ना
17. छोटी पत्नि स्व. धन्ना
18. माधो
19. रामफूल
20. भीवाराम पुत्रान सांवता
21. गंगाराम
22. प्रहलाद कुमार
23. लालचन्द
24. कुन्जनिवास पुत्रान जगदीश
25. धापा पत्नि स्व. हरिनारायण
26. बबूलाल
27. बालूराम पुत्रान हरिनारायण समस्त जाति मीना निवासी ग्राम ढाणी देवाना की, दूधली तह. बस्सी।
28. उपपंजीयक बस्सी
29. राज. सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी।

दावा बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर 336/16 निर्णय दिनांक 16.05.2018

वादग्रस्त आराजी ख.नं. 7 रकबा 8 बीघा 3 बिस्वा, ख.नं. 10 रकबा 4 बिस्वा, ख.नं. 17 रकबा 9 बिस्वा, ख.नं. 27 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा, ख.नं. 32 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा, ख.नं. 61 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, ख.नं. 158 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा कुल किता 7 कुल रकबा 24 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम सुजानपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर के संबंध में वादपत्र में प्रस्तुत सजरे खानदान के अनुसार श्योनाथ के हिस्से की भूमि 1/6 में से वादिया का 1/5 दर हिस्सा 1/6 बनता है जिसका राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो चुका है तथा वादिया द्वारा श्योनाथ की पुत्रियों के द्वारा प्रतिवादी सं. 1 को किये गये हकत्याग के निरस्तीकरण का वाद सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में सिविल न्यायालय के निर्णय के पश्चात ही वादिया के द्वारा चाही गयी रिलीफ के संबंध में निर्णय दिया जाना उचित समझते है। सिविल न्यायालय के निर्णय से पूर्व वादग्रस्त भूमि में श्योनाथ के हिस्से 1/6 भूमि वादिया का 1/5 हिस्सा दर हिस्सा 1/6 हिस्सा ही बनता है जो सही है वादिया चाहे तो सिविल न्यायालय के निर्णय के पश्चात नया वाद पेश कर सकती है। ....निजी..................मुबलिक......... ....बाबत..खर्चा इस मुकददमें का मय सूद वगैरह...................फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक..........................को अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 16.05.18 को जारी किया गया।

16.5.18

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जिला जयपुर

Contd--3

मोहर

दस्तखत...............................

ओहदा...............................

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी			स्टाम्प अर्जी		
दावा			दावा		
स्टाम्प			स्टाम्प		
बकालतनामा			बकालतनामा		
स्टाम्प वहत			स्टाम्प वहत		
सबूत			सबूत		
महन्ता वकील			महन्ता वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस			फीस		
कमिश्नर			कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः— इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिकी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी